सप्तदश

बिहार विधान सभा

पंचम सत्र

तारांकित प्रश्न

वर्ग-1

सोमवार, तिथि $\frac{\text{16 फाल्गुन, 1943 (श०)}}{\text{07 मार्च, 2022 (ई०)}}$

प्रश्नों की कुल संख्या **108**

(1)	गृह विभाग	.. ..	72
(2)	सामान्य प्रशासन विभाग	.. ..	10
(3)	वित्त विभाग	.. ..	03
(4)	उद्योग विभाग	.. ..	12
(5)	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	.. ..	06
(6)	मंत्रिमंडल सचिवालय (नागरिक विमानन) विभाग	.. ..	01
(7)	गन्ना उद्योग विभाग	.. ..	03
(8)	सूचना प्रावैधिकी विभाग	.. ..	01
		कुल योग --	108

भवन निर्माण कराना

*632. श्री राजीव कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-164 तारापुर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिला के तारापुर अनुमंडल अन्तर्गत हरपुर थाना, स्वास्थ्य उप-केन्द्र, गनैली में संचालित है जिसके चलते स्वास्थ्य, उप-केन्द्र गनैली में पदस्थापित स्वास्थ्य कर्मी स्वास्थ्य संबंधी कार्यों का निष्पादन सुचारू रूप से नहीं कर पाते हैं, यदि हाँ, तो सरकार कबतक हरपुर थाना का अलग भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जी0एस0टी0 बंद करवाना

*633. श्री अरूण सिंह (क्षेत्र संख्या-213 काराकाट)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार उद्यमिता के लिये अनुसूचित जाति/जन-जाति एवं अति पिछड़ा वर्ग के बेरोजगार आवेदकों को 10 लाख रुपये ऋण उपलब्ध कराये जाने की योजना है एवं ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त ऋण के लिये आवश्यक कागजातों के साथ जी0एस0टी0 लेना भी अनिवार्य किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उन आवेदकों का जिन्हें ऋण प्राप्त नहीं हुआ है, का जी0एस0टी0 बंद करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*634. श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव (क्षेत्र संख्या-216 जहानाबाद)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि जहानाबाद जिला के जहानाबाद प्रखंड अन्तर्गत कड़ौना एवं धनगावाँ में कब्रिस्तान अवस्थित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि कड़ौना कब्रिस्तान की चहारदीवारी विगत 2 वर्षों से टूटकर गिर गया है एवं धनगावाँ में अवस्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी का कार्य नहीं कराया गया है, फलस्वरूप टूटे हुये कब्रिस्तान की चहारदीवारी से एवं खुले कब्रिस्तान में आवारा पशुओं एवं असामाजिक तत्वों का आना-जाना लगा रहता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की चहारदीवारी की मरम्मती एवं दूसरे कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

ओ0पी0 थाना का निर्माण

*635. श्री विनय कुमार (क्षेत्र संख्या-225 गुरूआ)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिला के गुरूआ प्रखंड अन्तर्गत मंडा पंचायत के ग्राम-भरौंधा में ओ0पी0 थाना का निर्माण नहीं किया गया है, जबकि यह पंचायत प्रखंड के बीच में अवस्थित है तथा गुरूआ थाना की दूरी लगभग 10 किलो मीटर है जिससे अपराधी घटना को अंजाम देकर आसानी से निकल जाता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त वर्णित स्थान पर ओ0पी0 थाना निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का जीर्णोद्धार

*636. श्री विजय कुमार खेमका (क्षेत्र संख्या-62 पूर्णियाँ)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिला अन्तर्गत मधुबनी टी0ओ0पी0 का भवन जर्जर है तथा महिला आरक्षी के लिये शौचालय, पीने का शुद्ध पानी की व्यवस्था नहीं है जिससे यहाँ कार्यरत महिला आरक्षी सहित अन्य कर्मी को काफी कठिनाई हो रही है ;

(2) क्या यह बात सही है कि टी0ओ0पी0 भवन तथा हाजत जर्जर रहने के कारण यहाँ कार्यरत कर्मी में असुरक्षा का भाव बना रहता है जिससे दैनिक विभागीय कार्य भी प्रभावित होता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मधुबनी टी0ओ0पी0 भवन का जीर्णोद्धार कर सभी आधुनिक सुविधा से युक्त बनाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

घेराबंदी कराना

*637. श्री शमीम अहमद (क्षेत्र संख्या-12 नरकटिया)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के छौड़ादानों प्रखंड के जीतपुर पंचायत के ग्राम-नरउल कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं की गई है, जिसके फलस्वरूप असामाजिक तत्वों का वहाँ आना-जाना लगा रहता है, जबकि उक्त कब्रिस्तान घनी आबादी के बीच अवस्थित है तथा जिला प्रशासन द्वारा अभीतक उसे प्राथमिक सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान को प्राथमिक सूची में चयनित कर कबतक घेराबंदी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बकाया राशि का भुगतान

*638. श्री जितेन्द्र कुमार राय (क्षेत्र संख्या-117 मढ़ौरा)--क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सारण जिला के मढ़ौरा स्थित बंद पड़े कानपुर सुगर वर्क्स लि0 के ऊपर, जिले के किसानों का लगभग 6 करोड़ रुपया 15 वर्षों से बकाया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि किसानों का बकाया भुगतान नहीं होने के कारण उनके समक्ष भूखमरी की स्थिति उत्पन्न है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जिला के गन्ना किसानों के बकाया राशि का भुगतान कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) उत्तर स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि सारण जिलान्तर्गत कानपुर सुगर वर्क्स, मढ़ौरा भारत सरकार, कपड़ा मंत्रालय का एक उपक्रम है, जो ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन (BIC) ग्रुप की एक इकाई थी 1996-97 से यह इकाई रुग्ण होकर बंद है ।

मढ़ौरा चीनी मिल पर गन्ना किसानों का लगभग बकाया 4.64 करोड़ (चार करोड़ चौसठ लाख) रुपया बकाया है ।

(2) उत्तर अस्वीकारात्मक है ।

(3) मढ़ौरा चीनी मिल का मामला National Company Law Trinbunal (NCLT) कोलकाता बेन्च, कोलकाता में लम्बित है ।

पुलिस की व्यवस्था

*639. श्री विश्व नाथ राम (क्षेत्र संख्या-202 राजपुर (अ0जा0))--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बक्सर जिला के ईटाढ़ी प्रखंड, धनसोई बाजार एवं राजपुर के बाजार में अक्सर जाम लगा रहता है जिसके कारण व्यापारियों एवं ग्रामीण जनता को काफी परेशानी होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त बाजार में कबतक ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था कर जाम से मुक्ति दिलाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्थापित करना

*640. श्रीमती मीना कुमारी (क्षेत्र संख्या-34 बाबूबरही)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत लदनियाँ प्रखंड में राईस मिल स्थापित नहीं होने से किसान अपने धान फसल को औने-पौने भाव में व्यापारियों के हाथ बेचने को मजबूर हैं, जिससे उनके लागत मूल्य नहीं प्राप्त हो पाते हैं, जिसके कारण किसान भूखमरी के कगार पर हैं और जिला से पलायन के लिये मजबूर हैं, जबकि इसके लिये सरकारी जमीन पर्याप्त रूप में उपलब्ध है, यदि हाँ, तो सरकार लदनियाँ प्रखंड में राईस मिल कबतक स्थापित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मंदिर का जीर्णोद्धार

*641. श्री जनक सिंह (क्षेत्र संख्या-116 तरैया)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिला अन्तर्गत ईशुआपुर प्रखंड के ग्राम-गोढा में बलिराम बाबा अघौरी मठ एवं तरैया प्रखंड के ग्राम-भटौरा में श्रीरामजानकी ठाकुरबाड़ी लगभग 100 वर्षों से अधिक पुराना होने के कारण उक्त मंदिर एवं चहारदीवारी जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त मंदिर का जीर्णोद्धार कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अतिपिछड़ा वर्ग में शामिल करना

*642. श्री सुधाकर सिंह (क्षेत्र संख्या-203 रामगढ)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य में गद्दी जाति को 1993 में पिछड़ा वर्ग 2 में शामिल किया गया है, जिनकी सरकारी नौकरी में भागीदारी न के बराबर है ;

(2) क्या यह बात सही है कि गद्दी जाति के लोगों को अनुसूची 2 से अनुसूची 1 में सम्मिलित करने हेतु तत्कालीन सदस्य डॉ0 जगन्नाथ प्रसाद एवं मो0 शमसूद्दीन आजाद के नेतृत्व में एक जाँच कमिटी नवम्बर, 2011 में गठित की गई थी, जिसके प्रतिवेदन के अनुसार उक्त जाति को सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक आधार पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग माना गया था ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार गद्दी जाति को पिछड़ा वर्ग 2 से हटाकर अतिपिछड़ा वर्ग 1 में शामिल करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

उद्योग लगाना

*643. श्री अरूण सिंह (क्षेत्र संख्या-213 काराकाट)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि एशिया महादेश में अपनी पहचान रखने वाला डालमिया नगर उद्योग पुंज आज पूर्णत: बंद व उपस्करों के नीलामी सहित खण्डहर बन चुका है ;

(2) क्या यह बात सही है कि यह स्थान सारी मूलभूत जरूरतों से परिपूर्ण है, मसलन जमीन, नाली, सड़क, मकान, रेलवे सम्पर्क आदि जिस पर निवेश कर रोजगार सृजित किया जा सकता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त स्थल पर निवेश कर नये उद्योग लगाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*644. <u>श्री अनिल कुमार (क्षेत्र संख्या-231 टिकारी)</u>--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत कोच प्रखंड के ग्राम-कॉबर में कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं की गयी है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

घेराबंदी कराना

*645. <u>श्री भीम कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-219 गोह)</u>--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिले के गोह प्रखंड के अमारी पंचायत के ग्राम-अमारी में स्थित कब्रिस्तान खुले में होने के कारण सुअर, कुत्ता एवं अन्य जानवर घुमते हैं, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सभापति का मनोनयन

*646. <u>श्री शकील अहमद खाँ (क्षेत्र संख्या-64 कदवा)</u>--क्या मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य में उर्दू भाषा को बढ़ावा देने तथा विकास के लिये गठित उर्दू परामर्श समिति, बिहार में विगत 9 अगस्त, 2018 से सभापति का मनोनयन नहीं किया गया है, जिसके कारण द्वितीय सरकारी भाषा उर्दू का विकास तथा बढ़ावा देने पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उर्दू परामर्श समिति के सभापति का मनोनयन करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*647. <u>श्री अनिल कुमार (क्षेत्र संख्या-231 टिकारी)</u>--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत कोच प्रखंड के ग्राम-भाम में कब्रिस्तान की घेराबंदी नही की गयी है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सुविधा उपलब्ध कराना

*648. <u>डॉ0 निक्की हेम्ब्रम (क्षेत्र संख्या-162 कटोरिया (अ0ज0जा0))</u>--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बाँका जिला अन्तर्गत कटोरिया प्रखंड के जयपुर थाना में अग्निशामक नहीं है, बल्कि यह कटोरिया मुख्यालय में अवस्थित है जिसकी दूरी जयपुर थाना से 30 किलो मीटर है, जिसके कारण उक्त पंचायत एवं आस-पास के पंचायतों के आदिवासी बाहुल्य के लोगों के छप्परों के घरों में आग लगने पर अग्निशामक वाहन समय पर नहीं आते हैं, यदि हाँ, तो सरकार कबतक जयपुर में अग्निशामक वाहन की सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय खोलना

*649. <u>श्री मनोहर प्रसाद सिंह (क्षेत्र संख्या-67 मनिहारी (अ0 ज0 जा0))</u>--क्या मंत्री, मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि प्रत्येक जिला में एक आवासीय अल्पसंख्यक उच्च विद्यालय खोलने के सरकार के निर्णय के अनुसार कटिहार जिला में ऐसा विद्यालय नहीं खोला गया है, यदि हाँ, तो सरकार इस जिला में आवासीय अल्पसंख्यक उच्च विद्यालय खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

यातायात पुलिस चौकी बनाना

*650. श्री कृष्णनंदन पासवान (क्षेत्र संख्या-13 हरसिद्धि (अ0 जा0))--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत छपवा चौक, जो एन0 एच0 28ए, एन0 एच0 28बी0 और पी0डब्लू0डी0 छपवा से हरसिद्धि अरेराज पथ पर चौमुखी चौराहा है, वहाँ हमेशा जाम की समस्या बनी रहती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त चौराहा पर पुलिस चौकी नहीं रहने के कारण आम लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त स्थल पर यातायात पुलिस चौकी बनाने का विचार रखती हैं, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

खाद्य प्रसंस्करण औद्योगिक इकाई स्थापित कराना

*651. श्री हरिभूषण ठाकुर ''बचोल'' (क्षेत्र संख्या-35 बिस्फी)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला में धान, गेहूँ, मखाना, सब्जी की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है, लेकिन खाद्य प्रसंस्करण औद्योगिक इकाई स्थापित नहीं होने के कारण किसानों को उक्त फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है तथा वे अपना फसल औने-पौने दाम पर बेचने को मजबूर हैं, यदि हाँ, तो सरकार कबतक मधुबनी जिला में खाद्य प्रसंस्करण औद्योगिक इकाई स्थापित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री-- आंशिक स्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि राज्य सरकार के द्वारा स्वयं कोई इकाई की स्थापना नहीं की जाती है। निजी क्षेत्र के निवेशकों के द्वारा यदि इकाई स्थापित की जाती है तो प्रभावी औद्योगिक नीति के प्रावधान के तहत आवश्यक सहायता प्रदान की जाती है। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र को उच्च प्राथमिकता में रखा गया है और निवेश को आकर्षित करने के लिए विशेष पैकेज की व्यवस्था भी की गई है। साथ ही समय-समय पर विभिन्न औद्योगिक संगठनों के साथ वार्ता कर नए उद्योगो को लगाने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है।

बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के अन्तर्गत मधुबनी जिला में प्रारंभ से अब तक खाद्य प्रसस्करंण प्रक्षेत्र में कुल 21 प्रस्तावों को स्टेज-1 क्लियरेंस (सैंद्धातिक सहमति) तथा कुल 3 प्रस्तावों पर वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस दिया गया है इनमें से एक औद्योगिक इकाई कार्यरत हो चुकी है।

चहारदीवारी एवं बैरक का निर्माण

*652. श्री नीतीश मिश्रा (क्षेत्र संख्या-38 झंझारपुर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत झंझारपुर थाना परिसर में चहारदीवारी एवं बैरक निर्माण के लिए गृह विभाग (आरक्षी शाखा) बिहार सरकार के पत्रांक 371, दिनांक 14 जनवरी, 2021 के प्रसंग में अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल-1 बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना ने पत्रांक 1913, दिनांक 29 जनवरी, 2021 के माध्यम से निर्माण हेतु जमीन की वास्तविक विवरणी, स्थल का फोटोग्राफ, बैरक की क्षमता दर्शाते हुए स्थल के चारों तरफ का कर्ण रेखा सहित मापी उपलब्ध कराने की मांग कर कार्यपालक अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, दरभंगा प्रमंडल ने स्थल प्लान समर्पित कर दिया है, यदि हाँ तो सरकार झंझारपुर थाना परिसर में लंबित चाहरदीवारी एवं बैरक का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण कराना

*653. श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह (क्षेत्र संख्या-221 नवीनगर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत नवीनगर थाना भवन का निर्माण कार्य लगभग चार वर्ष पूर्व आरम्भ किया गया था परन्तु निर्माण कार्य पिछले तीन वर्षों से बंन्द है, जिससे पदाधिकारियों सहित क्षेत्र की जनता में असंतोष है, यदि हाँ, तो सरकार उपर्युक्त भवन का निर्माण कार्य बन्द कराने की जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई करते हुए भवन का निर्माण कबतक पूरा कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

घेराबंदी कराना

*654. श्री सूर्यकान्त पासवान (क्षेत्र संख्या-147 बखरी (अ० जा०))--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिलांतर्गत बखरी प्रखण्ड के चक्हमीद ग्राम स्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी अभी तक नहीं हुई है, जिसके कारण अतिक्रमण का डर बना रहता है, यदि हाँ तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नियोजन की प्रक्रिया पूरा कराना

*655. श्री सुधाकर सिंह (क्षेत्र संख्या-203 रामगढ)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 16441, दिनांक 03 दिसम्बर, 80, सचिव राजस्व परिषद् बिहार का पत्रांक 452, दिनांक 26 मई, 87 एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्रांक 3577, 639, 2530, 2953 तथा बिहार समुह 'घ' नियमावली 2010 के आलोक में कैमूर जिला में समाहरणालय संवर्ग के चतुर्थवर्गीय पद पर रिक्त स्थानों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे ;

(2) क्या यह बात सही है कि दैनिक समाचार पत्र में दिनांक 27 दिसम्बर, 2015 के चतुर्थवर्गीय पद पर नियोजन हेतु खबर प्रकाशित भी किया गया था जिसके आलोक में करीब 9000 आवेदन भी कार्यालय को प्राप्त है, लेकिन करीब 6 साल बीत जाने के बावजूद बहाली की प्रक्रिया अभीतक पूरी नहीं की गयी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक नियोजन की प्रक्रिया को पूरा कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

राशि का भुगतान करना

*656. श्री महबूब आलम (क्षेत्र संख्या-65 बलरामपुर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत नौबतपुर प्रखण्ड के अमरपुरा ग्राम निवासी स्वतंत्रता सेनानी लालमुनी देवी, पति-स्वतंत्रता सेनानी स्व0 सत्यनारायण सिंह की मृत्यु 19 मई, 2017 को हो गई थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि स्वतंत्रता सेनानी लालमुनी देवी जी को स्वतंत्रता सेनानी पेंशन पी0पी0ओ0 नं0 एससी 15155-पीओएल- पेशन खाता नं0 000134006008682, बिहार राज्य सहाकारी बैंक लिमिटेड, बांकीपुर पटना से मिलता था ;

(3) क्या यह बात सही है कि स्वतंत्रता सेनानी लालमुनी देवी की मृत्यु के चार साल 10 माह बीत जाने के बावजूद अभीतक उनके उत्तराधिकारी कृपा नारायण सिंह को उनके पेंशन खाते में बचे राशि का भुगतान नहीं हो सका है ;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो सरकार उक्त स्वतंत्रता सेनानी के पेंशन खाते में बचे राशि का भुगतान उनके उत्तराधिकारी को कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी की मरम्मती

*657. <u>श्री अजय कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-166 जमालपुर)</u>--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिला अंतर्गत जमालपुर प्रखंड के दौलतपुर ग्राम स्थित कब्रिस्तान की चहारदीवारी जीर्ण-शीर्ण हो गयी है, यदि हाँ, तो सरकार इस कब्रिस्तान के चहारदीवारी की मरम्मती कबतक कराने का विचार रखती है नहीं, तो क्यों ?

अल्पसंख्यक होस्टल बनाने

*658. <u>श्री विश्व नाथ राम (क्षेत्र संख्या-202 राजपुर (अ0 जा0))</u>--क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बक्सर जिला के इटाढ़ी प्रखण्ड अन्तर्गत इटाढ़ी बाजार में अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों के लिए हॉस्टल नहीं है, जिससे अल्पसंख्यक छात्रों को पठन-पाठन में काफी कठिनाई होती है जबकि इसके लिए जमीन भी उपलब्ध है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त बाजार में कबतक अल्पसंख्यक हॉस्टल बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

उम्मीदवारों का चयन

*659. <u>श्री चन्द्रहास चौपाल (क्षेत्र संख्या-72 सिंहेश्वर (अ0 जा0))</u>--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के बेरोजगार युवा-युवतियों के लिए मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/महिला/युवा उद्यमी योजना है जिसमें 10 लाख तक का ऋण मुहैया कराया जाता है एवं कुल परियोजना का 50 प्रतिशत ब्याज मुक्त अनुदान दिया जाता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि आवेदक के नाम से चालू खाता, जी0एस0टी0 नं0 आदि कई दस्तावेज का होना अनिवार्य है जिसे पूरा कराने में आवेदक को 8 से 10 हजार रुपया खर्च पड़ जाता है ;

(3) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2021-22 में कुल 62324 आवेदकों ने ऋण हेतु आवेदन किया लेकिन केवल 8000 आवेदनकर्ताओं का चयन लॉटरी पद्धति से किया गया है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार द्वारा उन बेरोजगार लोगों के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं जिनका चयन नहीं हो पाया एवं लॉटरी पद्धति से उम्मीदवारों का चयन करने का क्या औचित्य है ?

<u>प्रभारी मंत्री</u>--(1) स्वीकारात्मक ।

(2) आंशिक स्वीकारात्मक। विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक 1836 दिनांक 11 अगस्त, 2021 के कंडिका 3 में आवेदक से ऑनलाईन आवेदन करते समय जी0एस0टी0 लिये जाने का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है।

(3) आंशिक स्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि 8000 आवेदक के स्थान पर 15986 आवेदकों का चयन कम्प्यूटराइज्ड रैण्डमाइजेशन से किया गया ।

(4) 42477 योग्य आवेदनों में से निर्धारित लक्ष्य के आधार पर 15986 आवेदनों का अंतिम रूप से चयन किया गया शेष 26491 आवेदन प्रतीक्षा सूची में बने रहेंगे।

चयन प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं पारदर्शी बनाने के लिये कम्प्यूटराइज्ड रैण्डमाइजेशन के माध्यम से उम्मीदवारों का चयन करने का निर्णय लिया गया ।

चहारदीवारी का निर्माण

*660. <u>श्री अजय कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-166 जमालपुर)</u>--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिला अंतर्गत जमालपुर प्रखंड के सिंधिया ग्राम पंचायत अंतर्गत पठान टोली तथा बांक पंचायत के मोबारकचक ग्राम में स्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी अबतक नहीं होने के कारण हमेशा सामाजिक सौहार्द बिगड़ने की संभावना बनी रहती है, यदि हाँ, तो सरकार इन दोनों कब्रिस्तानों में चहारदीवारी का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

ओ०पी० को पुन: चालू कराना

*661. श्रीमती शालिनी मिश्रा (क्षेत्र संख्या-15 केसरिया)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण अंतर्गत केसरिया विधान सभा क्षेत्र के पूर्वी सुंदरपुर पंचायत अंतर्गत विजधरी ओ०पी० जो मुजफ्फरपुर और पूर्वी चम्पारण जिला की सीमा पर अवस्थित है, तीन वर्षों से बंद है, जबकि ओ०पी० के पास सरकारी भवन भी नहीं उपलब्ध है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक विजधरी ओ०पी० को पुन: चालू करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

घेराबंदी कराना

*662. श्री विजय कुमार मंडल (क्षेत्र संख्या-210 दिनारा)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला के दिनारा प्रखंड अन्तर्गत ग्राम-दिनारा एवं मुस्तफापुर कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं की गई है जिसके कारण बाहरी लोगों द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त ग्रामों में कब्रिस्तानों को घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

राहत पैकेज देना

*663. श्री सुदामा प्रसाद (क्षेत्र संख्या-196 तरारी)--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कोरोना काल में राज्य सरकार द्वारा 2020 से 2022 तक तीन बार लॉकडाउन लगाया गया है जिसके कारण फुटपाथी दुकानदारों, छोटे मंझोले व बड़े व्यवसायी कर्ज के बोझ से दब गये हैं और उनकी आर्थिक स्थिति काफी खराब हो गयी है, यदि हाँ, तो सरकार बैंक का ऋण तथा सरकारी कर्ज को माफ करते हुये इन्हें कोई राहत पैकेज कबतक देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

निर्माण कराना

*664. श्रीमती नीतू कुमारी (क्षेत्र संख्या-236 हिसुआ)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नवादा जिलान्तर्गत प्रखंड नरहट के ग्राम-शेखपुरा, अकबरपुर पंचायत में बुनकर भवन नहीं रहने के कारण कामगारों को भूखमरी की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त प्रखंड के ग्रामों में बुनकर भवन का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--नवादा जिलान्तर्गत प्रखंड-नरहट के ग्राम-शेखपुरा, अकबरपुर पंचायत में कोई बुनकर भवन नहीं है । उक्त ग्राम के कुछ कम्बल बुनकर द्वारा पाटी लूम से कम्बल की बुनाई पूर्व में की जाती थी । वर्तमान में ग्राम-शेखपुरा, अकबरपुर पंचायत के कम्बल बुनकरों द्वारा अन्य रोजगार करते हुये अपना जीवकोपार्जन किया जा रहा है । भूखमरी की कोई समस्या उनके सामने नहीं है । विभाग सर्वेक्षण कराकर उनके आवश्यकता अनुसार विभागीय नीतियों एवं योजनाओं के आलोक में कार्रवाई करेगी ।

मनोनीत करना

*665. श्री शकील अहमद खाँ (क्षेत्र संख्या-64 कदवा)--क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार उर्दू अकादमी के सचिव तथा उप-सभापति का पद विगत 6 अगस्त, 2018 से रिक्त है, जिसके कारण उर्दू को बढ़ावा देने और विकास का यह संस्था निलंबित होकर रह गया है और दूसरी सरकारी भाषा उर्दू को बड़ी क्षति हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक रिक्त सचिव एवं उप-सभापति का मनोनयन करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--आंशिक रूप से स्वीकारात्मक । बिहार उर्दू अकादमी में विभागीय आदेश सं० 72 -सह-पठित ज्ञापांक 1180, दिनांक 10 अगस्त, 2018 से विभाग के विशेष कार्य पदाधिकारी, श्री अजीमुल्लाह अंसारी को सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है और श्री अंसारी अगस्त, 2018 से ही सचिव, बिहार उर्दू अकादमी के रूप में कार्य कर रहे हैं । बिहार उर्दू अकादमी उर्दू के विकास हेतु सतत् कार्य कर रही है । बिहार उर्दू अकादमी की नई नियमावली बनाये जाने की कार्रवाई चल रही है । नियमावली का विधिक्षा (Vetting) विधि विभाग से हो चुकी है । नियमावली का मंत्रिपरिषद् से अनुमोदन होते ही उर्दू अकादमी के कार्यकारिणी समिति का गठन शीघ्र कर लिया जायेगा ।

थाना में उत्क्रमण करना

*666. श्री कुंदन कुमार (क्षेत्र संख्या-146 बेगूसराय)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिला के मंझौल अनुमंडल में संचालित मंझौल ओ॰पी॰ को थाना में उत्क्रमण करने संबंधी अधिसूचना काफी समय से लंबित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त ओ॰पी॰ में पुलिस निरीक्षक का पद स्वीकृत होने के बावजूद थाना में उत्क्रमण नहीं होने से पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशासनिक कार्यों में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मंझौल ओ॰पी॰ को थाना में उत्क्रमण संबंधी अधिसूचना कबतक निर्गत कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चापाकल लगाना

*667. श्री रामवृक्ष सदा (क्षेत्र संख्या-148 अलौली (अ॰जा॰))--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि खगड़िया जिला के अलौली विधान सभा में अल्पसंख्यक के कब्रिस्तान में पीने के पानी के लिये चापाकल नहीं लगा हुआ है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त स्थान पर चापाकल नहीं होने से अल्पसंख्यक समुदाय के ग्रामीण जनता को काफी कठिनाई होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त कब्रिस्तान में चापाकल लगाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

घेराबंदी कराना

*668. श्री अजय यादव (क्षेत्र संख्या-233 अतरी)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत प्रखंड खिजरसराय के ग्राम-मंडई में स्थित कब्रिस्तान है जिसकी घेराबंदी नहीं की गयी है जिसके कारण हिन्दु और मुस्लिम समुदाय में हमेशा तनाव की स्थिति बनी रहती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

घेराबंदी कराना

*669. श्री कुमार सर्वजीत (क्षेत्र संख्या-229 बोधगया (अ॰जा॰))--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत फतेहपुर प्रखंड के ग्राम पंचायत निमी के ग्राम-बरकैल (बदउयाँ) कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं की गयी है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

घेराबंदी कराना

*670. श्री शमीम अहमद (क्षेत्र संख्या-12 नरकटिया)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के छौड़ादानों प्रखंड अन्तर्गत जीतपुर पंचायत के हरदिया गाँव में अवस्थित कब्रिस्तान, जिसका खाता नं॰ 399, खेसरा नं॰ 1113, रकबा, 356 डिसमिल है की घेराबंदी नहीं की गई है, जिससे असामाजिक तत्वों का वहां आना-जाना लगा रहता है, जबकि उक्त कब्रिस्तान घनी आबादी के बीच में अवस्थित है तथा जिला प्रशासन द्वारा अभीतक उसे चयनित सूची में दर्ज नहीं किया है साथ ही कब्रिस्तान एवं श्मशान घाट भी एक ही जगह पर दोनों समुदाय का है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान को प्राथमिकता सूची में चयनित कर कबतक घेराबंदी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अनुदान देना

*671. श्री मोहम्मद नेहालउद्दीन (क्षेत्र संख्या-224 रफीगंज)--क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार उर्दू एकादमी के कम्प्यूटर तरबीयती मरकज की स्थापना बिहार उर्दू एकादमी के मजीलस आमला के फैसला के बाद सितम्बर, 1999 में अमल में आया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि मरकज को अक्टूबर, 2008 के बाद से वित्तीय सहायता बंद कर दी गयी है जिससे यह बंद होने के कगार पर है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त मरकज को अनुदान (वित्तीय सहायता) देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण कराना

*672. श्री नरेन्द्र नारायण यादव (क्षेत्र संख्या-70 आलमनगर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जिला मधेपुरा अन्तर्गत थाना चौसा का भवन जीर्ण-शीर्ण है जबकि थाना चौसा जिला-पूर्णियाँ एवं नौगछिया पुलिस जिला की सीमावर्ती क्षेत्र में है, यदि हाँ, तो सरकार थाना चौसा में मॉडल भवन का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

राशि का पूर्ण भुगतान

*673. श्री अशोक कुमार चौधरी (क्षेत्र संख्या-92 सकरा (अ०जा०))--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सहारा इंडिया, एस०के०पूरी पटना में अमित कुमार द्वारा क्यूशॉप सर्टिफिकेट नं० 562006155906-7 राशि 20,000/- परिपक्वता तिथि 15 सितम्बर, 2018 क्यूशॉप (ईस्ट) 893002880432-36 राशि 50,000/-परिपक्वता तिथि 28 फरवरी, 2020 आकांक्षा द्वारा क्यूशॉप (ईस्ट) 893002880437-41 राशि 50,000/- परिपक्वता तिथि 28 फरवरी, 2020, मधुप कुमार द्वारा क्यूशॉप सर्टिफिकेट नं० 562021524993, 562021512615, 562021512752, 562021512511, 562021512844, राशि 67750/-परिपक्वता तिथि माह मई, 2018 एवं ब्रांच महेन्द्रु, पटना में सुधा कुमारी द्वारा क्यूशॉप रसीद नं० 71035680109 राशि 4050/- परिपक्वता तिथि 4 सितम्बर, 2018 द्वारा निवेश किया गया किन्तु उक्त निवेदशकों को परिपक्वता अवधि पूरी होने के बाद भी भुगतान नहीं किया जा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार निवेशकों को राशि का पूर्ण भुगतान शीघ्र कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

घेराबंदी कराना

*674. श्री शाहनवाज (क्षेत्र संख्या-50 जोकीहाट)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत पलासी प्रखंड के त्यासपुर मौजा के थाना नं० 121, खाता नं०123, खेसरा नं० 122, 123 एवं 124 में अवस्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं होने के कारण कब्रिस्तान की जमीन का अतिक्रमण हो रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी कराना

*675. श्री राजवंशी महतो (क्षेत्र संख्या-141 चेरिया बरियारपुर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत चेरिया बरियारपुर प्रखंड के पबड़ा में कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं की गई है, जिस कारण जमीन का अतिक्रमण होता जा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*676. श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी (क्षेत्र संख्या-200 बक्सर)--क्या गृह मंत्री, विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बक्सर नगर परिषद् क्षेत्र में पुलिस क्लब, बक्सर का अपना भूमि एवं भवन है जो काफी पुराना एवं जर्जर है तथा वर्तमान में पुलिस विभाग के पदाधिकारी यहां रहते हैं, यदि हाँ, तो सरकार उक्त भू-भाग पर पुलिस पदाधिकारियों के लिये नया भवन कबतक बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अग्निशामक केन्द्र बनवाना

*677. श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय (क्षेत्र संख्या-102 कुचायकोट)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत कुचायकोट प्रखंड में अग्निशामक केन्द्र नहीं है जिसके कारण जिला से उक्त प्रखंड में अग्निशामक यंत्र के आने में अधिक समय लगता है, यदि हाँ, तो सरकार कुचायकोट प्रखंड में कबतक अग्निशामक केन्द्र स्थापित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

घेराबंदी कराना

*678. श्री मनोज कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-16 कल्याणपुर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत प्रखंड कल्याणपुर में मनिछपरा कब्रिस्तान, खाता नं० 324, खेसरा 1008 एवं कोयला बेलवा कब्रिस्तान, खाता नं० 1059, खेसरा नं० 237 की घेराबंदी हेतु प्राक्कलन बनाकर एल०ई०ओ०-01 मोतिहारी द्वारा विकास शाखा, मोतिहारी में जमा है, किन्तु अभीतक घेराबंदी नहीं हुयी हैं, यदि हाँ, तो सरकार उक्त वर्णित कब्रिस्तानों की पक्की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

उत्क्रमित करना

*679. श्री नीतीश मिश्रा (क्षेत्र संख्या-38 झंझारपुर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत सकरी-निर्मली रेलखंड पर अवस्थित झंझारपुर रेलवे स्टेशन कर रेल पुलिस आउट पोस्ट अवस्थित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि इस रेल खंड के आमान परिवर्तन होने से यात्रियों एवं गाड़ियों की संख्या में वृद्धि तथा दरभंगा रेल थाना की दूरी अधिक होने के दबाव के कारण झंझारपुर रेल पुलिस आउट पोस्ट को सुरक्षा व्यवस्था संभालने में कठिनाई होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार झंझारपुर रेल पुलिस आउट पोस्ट को रेल थाना के रूप में उत्क्रमित कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

घेराबंदी कराना

*680. श्री नरेन्द्र नारायण यादव (क्षेत्र संख्या-70 आलमनगर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जिला मधेपुरा अन्तर्गत प्रखंड आलमनगर के अधीन ग्राम-सुखाडघाट ग्रामीण चौसा के कनवा रही प्रखंड पुरैनी के वोरलाहा तथा प्रखंड उदाकिशुनगंज के अधीन रहटा दक्षिण कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं हुई है, यदि हाँ, तो सरकार उपर्युक्त कब्रिस्तानों की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन शिफ्ट कराना

*681. श्री पवन कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-155 कहलगांव)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत कहलगांव प्रखंड के अंतीचक पंचायत में स्थित विक्रमशिला खुदाई स्थल के नजदीक पर्यटकों के विश्राम के लिये बने भवन में अंतीचक थाना पिछले कई वर्षों से संचालित है, जबकि अंतीचक थाने का नया भवन बनकर तैयार है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक अंतीचक थाने को उक्त नये भवन में शिफ्ट करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*682. श्री महबूब आलम (क्षेत्र संख्या-65 बलरामपुर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कटिहार जिलान्तर्गत बारसोई प्रखंड के सुधानी पंचायत के सुधानी बाजार में ओ० पी० वर्ष 2003 से ही पंचायत भवन में कार्यरत हैं, जिससे ओ०पी० आरक्षी पदाधिकारी, आरक्षी एवं अन्य **कर्मियों** को कार्य निष्पादन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त ओ०पी० का पंचायत भवन में कार्यरत रहने से पंचायत के कार्य में मुखिया तथा अन्य जन-प्रतिनिधियों को भी अपने क्रिया-कलाप में कठिनाइयाँ होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त ओ०पी० के लिये स्वतंत्र रूप से भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों नहीं ?

घेराबंदी कराना

*683. श्री रणविजय साहू (क्षेत्र संख्या-135 मोरवा)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के मोरवा विधान सभा क्षेत्र के पटोरी प्रखंड के जोरपुरा पंचायत के ग्राम-मालपुर में कब्रिस्तान अवस्थित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त कब्रिस्तान का खाता नं० 53, खेसरा नं० 93, रकबा-70डी, थाना 379 है जिसकी घेराबंदी नहीं होने के कारण असामाजिक तत्वों एवं आवारा पशुओं का आना-जाना लगा रहता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सुविधा केन्द्र स्थापित करना

*684. श्री नन्द किशोर यादव (क्षेत्र संख्या-184 पटना साहिब)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत पटना साहिब विधान सभा क्षेत्र के लघु उद्यमियों के साथ दिनांक 24 सितम्बर, 2021 को संवाद कार्यक्रम में माननीय मंत्री, उद्योग विभाग द्वारा एल०ई०डी० बल्ब, स्टील फर्निचर, खिलौना, फुटवेयर एवं रेडीमेड वस्त्र के लिये कलस्टर निर्माण की घोषणा की थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि एल०ई०डी० बल्ब एवं स्टील फर्निचर के कलस्टर हेतु सामान्य सुविध I केन्द्र स्थापना के लिये दिनांक 14 दिसम्बर, 2021 को स्वीकृति प्रदान की गयी, किन्तु फूटवेयर, खिलौना एवं रेडीमेड वस्त्र के कलस्टर हेतु अभीतक स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार फूटवेयर, खिलौना एवं रेडीमेड वस्त्र के कलस्टर निर्माण हेतु सामान्य सुविधा केन्द्र स्थापित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक।

(2) आंशिक रूप से स्वीकारात्मक । एल०ई०डी० बल्ब एवं स्टील फर्नीचर के क्लस्टर हेतु सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना के लिये दिनांक 14 दिसम्बर, 2021 को उद्योग निदेशक, बिहार, पटना की अध्यक्षता में गठित राज्यस्तरीय समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी। फूटवेयर, खिलौना एवं रेडीमेड वस्त्र के कलस्टर हेतु जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिलास्तरीय समिति से अभीतक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। प्रस्ताव प्राप्त होते ही उद्योग निदेशक, बिहार, पटना की अध्यक्षता में गठित राज्यस्तरीय समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान करने हेतु अग्रेतर कार्रवाई किया जाता है।

(3) मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु उद्योग कलस्टर विकास योजनान्तर्गत जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिलास्तरीय समिति से प्रस्ताव प्राप्त होने पर उद्योग निदेशक, बिहार, पटना की अध्यक्षता में गठित राज्यस्तरीय समिति द्वारा विचारोपरान्त स्वीकृति प्रदान किया जाता है।

बहाल करना

*685. श्री संदीप सौरभ (क्षेत्र संख्या-190 पालीगंज)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि केन्द्रीय चयन पर्षद, सिपाही भर्ती द्वारा (विज्ञापन संख्या 02/2009) 10, 110 पदों पर निकाली गयी बहाल के विरुद्ध शारीरिक दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण सभी 13468 अभ्यर्थियों को लेने का आदेश माननीय उच्च न्यायालय द्वारा CWJC-15487/2011 में दिया ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त बहाली को लेकर बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से एक समिति बनाकर शेष 3358 की जगह केवल 1308 अभ्यर्थियों की सूची जारी की गयी है जिसमें ना तो आरक्षण दिया गया है और ना ही मेधा के आधार पर नियुक्ति की गयी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त विज्ञापन के शेष अभ्यर्थियों को कबतक बहाल करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

व्यवस्था कराना

*686. श्री मिथिलेश कुमार (क्षेत्र संख्या-28 सीतामढ़ी)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नगर निगम सीतामढ़ी में बिहार के अन्य नगर निगम क्षेत्रों के अनुरूप ट्रैफिक थाना एवं ट्रैफिक उपाधीक्षक की व्यवस्था अबतक नहीं हो सकी है यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त नगर निगम क्षेत्र में ट्रैफिक थाना एवं ट्रैफिक उपाधीक्षक की व्यवस्था कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

छात्रावास खोलना

*687. श्री मनोहर प्रसाद सिंह (क्षेत्र संख्या-67 मनिहारी (अ०ज०जा०))--क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला अन्तर्गत अमदाबाद प्रखण्ड में अल्पसंख्यक समुदाय का बाहुल्य है जबकि वहाँ अल्पसंख्यक छात्रावास नहीं है, यदि हाँ, तो क्या सरकार वहां एक अल्पसंख्यक छात्रावास खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--अस्वीकारात्मक। राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के माध्यम से प्रत्येक जिला मुख्यालय में एक अल्पसंख्यक बालक एवं एक बालिका छात्रावास का निर्माण कराया जाता है। वर्तमान नीति के अनुसार राज्य योजनान्तर्गत प्रखंड स्तर पर छात्रावास निर्माण का प्रावधान नहीं है। उल्लेखनीय है कि कटिहार जिले में अल्पसंख्यक बालक एवं बालिका छात्रावास का निर्माण कार्य कराया गया है, जो संचालित है।

चहारदीवारी का निर्माण कराना

*688. श्री अरूण शंकर प्रसाद (क्षेत्र संख्या-33 खजौली)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत खजौली प्रखण्ड के श्रीराम जानकी मंदिर ठाहर को 09 एकड़ जमीन उपलब्ध है, जिनमें से 10 कट्ठा भूमि राममूर्ति यादव, सियाराम यादव एवं शत्रुघ्न सिंह ने अतिक्रमण कर लिया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त मंदिर के महंथ ने दिनांक 25 अगस्त, 2003 को अध्यक्ष, बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद, पटना को अतिक्रमित भूमि मुक्त कराने हेतु आवेदन दिया था, जिसके आलोक में बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद् ने ज्ञापांक 4277, दिनांक 23 फरवरी, 2004 को आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी, थाना व अंचलाधिकारी, खजौली को पत्र देकर अतिक्रमित भूमि मुक्त कराने हेतु कार्रवाई करने का आदेश दिया था, परन्तु आजतक कोई कार्रवाई नहीं की गयी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार अतिक्रमित जमीन को कबतक मुक्त कराने एवं चहारदीवारी निर्माण का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

घेराबन्दी करना

*689. श्री संजय कुमार गुप्ता (क्षेत्र संख्या-30 बेलसंड)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत बेलसंड प्रखंड के भोड़वा पंचायत के सुन्दरपुर एवं पचनउर पंचायत के दरियापुर कब्रिस्तान की घेराबन्दी नहीं रहने के कारण लोगों द्वारा कब्रिस्तान की जमीन का अतिक्रमण किया जा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तानों की घेराबन्दी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

लाभ दिलाना

*690. श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव (क्षेत्र संख्या-216 जहानाबाद)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि जहानाबाद जिला के काको जहानाबाद रोड में औद्योगिक प्रांगण अवस्थित है जो विगत 20/25 वर्षों से बन्द पड़ा हुआ है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त औद्योगिक प्रांगण में कई प्रकार की मशीनें लगी हुयी हैं जो जीर्ण-शीर्ण स्थिति में पहुँच चुकी हैं और बंद रहने से रोजगार की समस्या उत्पन्न हो गयी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बंद पड़े औद्योगिक प्रांगण का जीर्णोद्धार कराते हुये नवयुवकों को रोजगार दिलाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन का जीर्णोद्धार

*691. श्री विजय कुमार खेमका (क्षेत्र संख्या-62 पूर्णियाँ)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिला अन्तर्गत खजांची हाट सहायक थाना का भवन जर्जर है तथा महिला आरक्षी के लिये शौचालय, पीने का शुद्ध पानी की व्यवस्था नहीं है जिससे यहाँ कार्यरत महिला आरक्षी सहित अन्य कर्मी को काफी कठिनाई हो रही है ;

(2) क्या यह बात सही है कि थाना भवन तथा हाजत जर्जर रहने के कारण यहां कार्यरत कर्मी में असुरक्षा का भाव बना रहता है जिससे दैनिक विभागीय कार्य भी प्रभावित होता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त थाना भवन का जीर्णोद्धार कर सभी सुविधा से युक्त बनाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

तालाब का सौन्दर्यीकरण

*692. श्री राजेश कुमार गुप्ता (क्षेत्र संख्या-208 सासाराम)--क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला के सासाराम नगर निगम अन्तर्गत तकिया में सलीम शाह का मकबरा अवस्थित है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त स्थान पर मकबरा के अगल-बगल तथा तालाब में गंदगी फैला रहता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त मकबरा के आस-पास सफाई करते हुये तालाब का सौन्दर्यीकरण करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*693. श्री जितेन्द्र कुमार राय (क्षेत्र संख्या-117 मढ़ौरा)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूरे राज्य में प्रखंड स्तर पर अग्निशमन सेवा की सुविधा बहाल है जबकि सारण जिला के मढ़ौरा प्रखंड स्थित भुआलपुर पंचायत जैसे पूरे राज्य में ऐसे सैंकड़ों पंचायत हैं, जिनकी दूरी प्रखंड मुख्यालय से 10 कि०मी० से ज्यादा होने के कारण समय पर अग्निशमन सेवा नहीं मिल पाती है, यदि हाँ, तो सरकार ऐसे पंचायतों को अग्निशमन सेवा यथाशीघ्र उपलब्ध कराने हेतु कौन-सी कार्रवाई कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जिला का दर्जा प्रदान करना

*694. श्री विनय कुमार (क्षेत्र संख्या-225 गुरूआ)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिला में शेरघाटी को अनुमंडल का दर्जा प्राप्त है, उक्त अनुमंडल में इमामगंज विधान सभा क्षेत्र में बसावट गाँव से गया मुख्यालय की दूरी 100 कि०मी० से अधिक पड़ती है तथा यह जिला बनाने हेतु सारी अर्हतायें को पूर्ण करता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार शेरघाटी अनुमंडल को जिला का दर्जा प्रदान करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

यात्रा भत्ता देना

*695. श्री हरीभूषण ठाकुर "बचोल" (क्षेत्र संख्या-35 बिस्फी)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि माननीय विधायकों के अंगरक्षक में जो पुलिसकर्मी तैनात है उनका यात्रा-भत्ता देय है जबकि मधुबनी जिला के माननीय विधायकों के अंगरक्षक में तैनात पुलिसकर्मियों को यात्रा-भत्ता नहीं मिल रहा है, यदि हाँ, तो सरकार मधुबनी जिला में माननीय विधायकों के अंगरक्षक में तैनात पुलिसकर्मियों को यात्रा-भत्ता कबतक देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बकाया भुगतान कराना

*696. श्री रामप्रवेश राय (क्षेत्र संख्या-100 बरौली)--क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिला अन्तर्गत सासामुसा चीनी मिल पर किसानों का 05 करोड़ रुपये गन्ना मूल्य विगत पाँच वर्षों से बकाया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त चीनी मिल से किसानों का बकाया भुगतान कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि मेसर्स सासामूसा सुगर वर्क्स प्रा०लि० सासामूसा, गोपालगंज पर गन्ना कास्तकारों का पेराई सत्र 2014-15 से 2020-21 तक लगभग मो० 43.00 करोड़ रुपये ईख मूल्य भुगतान मद में बकाया है। चालू पेराई सत्र 2021-22 में इस चीनी मिल पर ईख मूल्य भुगतान मद में भारी राशि बकाया रहने एवं चीनी मिल की आर्थिक स्थिति दयनीय हो जाने के कारण मिल प्रबंधन द्वारा चीनी मिल का परिचालन नहीं किया गया। बकायों की वसूली हेतु बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) अधिनियम 1981 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत इस चीनी मिल पर सत्रवार नीलाम-पत्र वाद दायर किया गया है। विभाग द्वारा दायर किये गये नीलाम-पत्र वाद के आलोक में जिला नीलाम-पत्र पदाधिकारी, गोपालगंज द्वारा सासामूसा चीनी मिल प्रबंधन के विरुद्ध वारन्ट निर्गत किया गया है।

सासामूसा चीनी मिल पर बैंक का बकाया रहने एवं खाता NPA हो जाने के कारण सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा चीनी मिल के गोदाम में उपलब्ध चीनी को जब्त करते हुये गोदाम में ताला बंद कर दिया गया है। वर्तमान में सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा सासामूसा चीनी मिल से संबंधित मामला को DRT (Debt Recoery Tribunal), पटना में दायर किया गया है। साथ ही बैंक द्वारा सासामूसा से संबंधित मामले को NCLT (National Company Law Tribunal), कोलकाता में भी दायर किया गया है, जिसकी सुनवाई की तिथि दिनांक 16 मार्च, 2022 को निर्धारित है।

वाहन चोरी पर रोक लगाना

*697. श्री समीर कुमार महासेठ (क्षेत्र संख्या-36 मधुबनी)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य में 2018 में 18657, 2019 में 22012, 2020 में 2561 एवं 2021 में 5207 दोपहिया एवं चारपहिया वाहनों की चोरी हुयी है परन्तु पुलिस की सुस्ती के कारण वाहनों की रिकवरी का प्रतिशत 15 से भी कम है, यदि हाँ, तो सरकार वाहन चोरी पर रोक लगाने तथा पुलिस की सुस्त कार्य प्रणाली दूर करने हेतु कौन-से कदम उठाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

गिरफ्तारी कराना

*698. श्री सिद्धार्थ सौरव (क्षेत्र संख्या-191 बिक्रम)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत कनपा थाना कांड संख्या 187/2018 में नामित मुदालय के खिलाफ दिनांक 13 सितम्बर, 2021 को वारंट निकाले जाने के बावजूद भी अभीतक कांड में नामजद किसी एक सदस्य की भी गिरफ्तारी नहीं की गयी है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त वर्णित कांड में नामित सदस्यों की गिरफ्तारी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

डायरी कोर्ट को भेजना

*699. श्री सिद्धार्थ सौरव (क्षेत्र संख्या-191 बिक्रम)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिक्रम विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत प्रखण्ड नौबतपुर स्थित पंचायत नवडीहा, ग्राम-धोबियाकालापुर के मुकेश मिस्त्री, पिता-स्वर्गीय रामदयाल मिस्त्री की मृत्यु दिनांक 14 अगस्त, 2013 को कुमार कॉम्पलेक्स, गुलटेरा बाजार, बिहटा में सड़क दुर्घटना में हो गयी थी जिसका बिहटा थाना कांड संख्या 578/13 है, परन्तु 9 वर्षों के उपरांत भी अभीतक बिहटा थाना द्वारा कांड की डायरी कोर्ट में नहीं भेजा गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त वर्णित कांड की डायरी कोर्ट को भेजने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

थाना का दर्जा दिलाना

*700. श्री रत्नेश सादा (क्षेत्र संख्या-74 सोनवर्षा (अ0जा0))--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सहरसा जिलान्तर्गत पतरघट प्रखंड के पतरघट में अस्थायी रूप से वर्ष 2020 से ओ0पी0 स्थापित है, यदि हाँ, तो सरकार पतरघट ओ0पी0 को स्थायी रूप से थाना का दर्जा कबतक दिलाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

थाना बनवाना

*701. श्री मुकेश कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-27 बाजपट्टी)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला अन्तर्गत बोखरा ओ0पी0 को स्थायी थाना का दर्जा एक वर्ष पूर्व मिलने के बाद भी बोखरा का सारा कार्य नानपुर थाना से ही निपटाया जाता है, जिससे आमजन को बोखरा से नानपुर जाने-आने में काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार बोखरा ओ0पी0 से ही सारा कार्य कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

थाना बनवाना

*702. श्री सूर्यकान्त पासवान (क्षेत्र संख्या-147 बखरी (अ0जा0))--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिला अन्तर्गत बखरी प्रखंड के थाने में कुल आठ पंचायत और एक नगर परिषद् है ;

(2) क्या यह बात सही है कि नगर परिषद् क्षेत्र में अवस्थित बखरी बाजार में आये दिन आपराधिक घटनायें होती रहती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बखरी प्रखंड के बखरी नगर परिषद् क्षेत्र के लिये अलग से टाउन थाना बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

क्रेडिट डिपोजिट रेसियों बढ़ाना

*703. श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह (क्षेत्र संख्या-221 नबीनगर)--हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र के दिनांक 23 जून, 2021 के अंक में छपी खबर के शीर्षक ''बिहार के लोगों का पैसा विकसित राज्यों में भेज रहे बैंक, यह गलत'' के आलोक में क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि देश का क्रेडिट डिपोजिट रेसियों 76.5 प्रतिशत है, जबकि राज्य का क्रेडिट डिपोजिट रेसियों मात्र 46.40 प्रतिशत है ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य के बैंकों का क्रेडिट डिपोजिट रेसियों कम रहने के कारण राज्य का समुचित विकास बाधित होता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार राज्य का क्रेडिट डिपोजिट रेसियों बढ़ाने के लिये कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) आंशिक स्वीकारात्मक । दिनांक 31 मार्च, 2021 को बिहार राज्य का साख-जमा अनुपात 46.40 प्रतिशत था । सितम्बर, 2021 को बढ़ाकर यह 47.71 प्रतिशत तथा दिसम्बर, 2021 को 50.18 प्रतिशत हो गया है ।

(2) आंशिक स्वीकारात्मक ।

(3) राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC) एवं इसकी उप-समितियों की त्रैमासिक बैठकों तथा जिलास्तरीय समन्वय समिति की बैठकों में साख-जमा अनुपात की सतत् समीक्षा की जाती है तथा राज्य में कार्यरत बैंकों को इसमें सुधार हेतु निदेश दिये जाते हैं ।

घेराबंदी कराना

*704. श्री कुमार सर्वजीत (क्षेत्र संख्या-229 बोधगया (अ0जा0))--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत टनकुप्पा प्रखंड के ग्राम पंचायत जगरनाथपुर के ग्राम-मियाँ बिगहा कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं की गयी है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

औचित्य बतलाना

*705. श्री संतोष कुमार मिश्र (क्षेत्र संख्या-209 करगहर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत कोचस-प्रखंड के ग्राम-कुछिला से कुछिला ओ0पी0 थाना संचालित होता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि कुछिला ओ0पी0 कैमूर जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय के अधीन है तथा कुछिला ओ0पी0 में कैमूर पुलिस के ही पदाधिकारी पदस्थापित है एवं उक्त ओ0पी0 के अन्तर्गत कैमूर जिला के ही तीन पंचायत पड़ते हैं, जबकि पूर्व में उक्त ओ0पी0 रोहतास जिला के पुलिस अधीक्षक कार्यालय के अधीन था यथा ग्राम-कुछिला जो कि पंचायत भी है, रोहतास जिलान्तर्गत कोचस प्रखंड में पड़ता है एवं उक्त ओ0पी0 को थाना बनाकर कोचस प्रखंड के कुछिला पंचायत, गारा पंचायत, चितैनी, पंचायत एवं सरेयां पंचायत के ग्राम लाभान्वित हो सकते हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो कुछिला ओ0पी0 को कैमूर जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय के अधीन रखने का औचित्य क्या है ?

अग्निशामक वाहन उपलब्ध करना

*706. श्री बागी कुमार वर्मा (क्षेत्र संख्या-215 कुर्था)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अरवल जिला के सोनभद्र वंशी सूर्यपुर प्रखंड मुख्यालय में एक भी अग्निशामक वाहन नहीं है, जिसके कारण अगलगी होने पर स्थानीय प्रखंड/थाना क्षेत्र के ग्रामीणों को काफी क्षति होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त प्रखंड/थाना में अग्निशामक वाहन कबतक उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नियुक्ति-पत्र देना

*707. श्री मनोज मंजिल (क्षेत्र संख्या-195 अगिआँव (अ0जा0))--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार सरकार, बिहार तकनीकी सेवा आयोग (BTSC), विज्ञापन संख्या 01/2019 के द्वारा कनीय अभियंता (असैनिक/यांत्रिक/विद्युत्) के 6379 पदों पर भर्ती के लिये विज्ञापन निकाला गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि 11 मार्च, 2019 से 15 अप्रील, 2019 तक आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के बाद 2 दिसम्बर, 2020 से 4 मार्च, 2021 तक अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग करने के बाद नियुक्ति-पत्र नहीं दिया गया था ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार नियुक्ति-पत्र देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*708. श्री मनोज मंजिल (क्षेत्र संख्या-195 अगिआँव (अ0जा0))--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि 1 जुन, 2012 को अपराधियों ने डॉ0 अम्बेडकर कल्याण छात्रावास कतिरा, आरा, भोजपुर पर हमला कर सैकड़ों छात्रों के प्रमाण-पत्र जला दिया था जिसमें 400 से अधिक छात्रों को प्रति छात्र 60 हजार रुपये मुआवजा देना तय किया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि इन छात्रों में मात्र 15 छात्रों को मुआवजा दिया गया तथा छात्रावास पर हमला करने वाले मुख्य अभियुक्तों पर ना FIR हुआ ना गिरफ्तारी की गयी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सभी छात्रों को मुआवजा दिलाने एवं छात्रावास पर हमला करने वाले मुख्य अभियुक्तों को गिरफ्तार कर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पिकेट पुनः स्थापित कराना

*709. श्री भीम कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-219 गोह)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला अन्तर्गत गोह प्रखंड के अमारी पंचायत के ग्राम-महदीपुर में सन् 2002 से पिकेट स्थायी रूप से था और यह गाँव गया जिला से सटा हुआ है ;

(2) क्या यह बात सही है कि महदीपुर गाँव से सटे हुये गाँव मियापुर में 16 जून, 2000 को नरसंहार हुआ था, जिसके कारण पिकेट स्थापित किया गया था परन्तु जनवरी, 2022 में उक्त पिकेट को हटा लिया गया है जिससे उक्त गाँव के लोग भयभीत हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त ग्राम-महदीपुर में पिकेट पुनः स्थापित कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

जाँच कराना

*710. श्री अजीत शर्मा (क्षेत्र संख्या-156 भागलपुर)--क्या मंत्री, सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा बेल्ट्रॉन को तकनीकी कर्मियों की सेवा प्रदान करने हेतु नॉडल एजेंसी निर्धारित किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बेल्ट्रॉन द्वारा प्रोग्रामर, डाटा इन्ट्री ऑपरेटर सहित अन्य कर्मियों की सेवा देने पर उनके वेतन से 550 रुपये सेवा शुल्क एवं जी0एस0टी0 ली जाती है ;

(3) क्या यह बात सही है कि सेवा शुल्क एवं जी0एस0टी0 लेने के बावजूद बेल्ट्रॉन द्वारा इन कर्मियों के वेतनादि की राशि, उर्मिला इन्फोटेक के खाते में दी जाती है जो मनमाने ढंग से कटौती कर कर्मियों के खाते में राशि स्थानांतरित करता है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो उर्मिला इन्फोटेक के माध्यम से संविदा कर्मियों को वेतन भुगतान एवं जी0एस0टी0 लिये जाने का औचित्य बतलाने के साथ-साथ क्या सरकार इसकी जाँच कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) अस्वीकारात्मक है । विभिन्न विभागों/कार्यालयों से प्राप्त अधियाचनाओं के विरुद्ध संविदा के आधार पर प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर, डाटा इन्ट्री ऑपरेटर एवं आई0 टी0 ब्वॉय/गर्ल्स की सेवा, सेवा शर्त के अनुसार उपलब्ध कराई जाती है । वस्तुस्थिति है कि बेल्टॉन एकमात्र एजेंसी नहीं है ।

(2) अस्वीकारात्मक है । सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना के आदेश ज्ञापांक 1116, दिनांक 31 अगस्त, 2018 के आलोक में बेल्ट्रॉन की सेवा शुल्क (बेल्ट्रॉन मार्जिन) की राशि रुपया 550 एवं जी0एस0टी0 की राशि प्रोग्रामर, डाटा इन्ट्री ऑपरेटर सहित अन्य कर्मियों के वेतन से कटौती नहीं की जाती है । वस्तुतः उक्त राशि इन कर्मियों को नियत मानदेय के अतिरिक्त होती है तथा इस राशि के व्यय का वहन राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है ।

(3) अस्वीकारात्मक है । संविदा के आधार पर उपलब्ध कराये गये कर्मी यथा डाटा इन्ट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर सहित अन्य कर्मी निगम (बेल्ट्रॉन) के कर्मी नहीं होते है, चयनित सर्विस प्रोवाईडर (मे0 उर्मिला इन्फो सॉल्यूसन) द्वारा इन्हें अभिनियोजन हेतु संविदा पर उपलब्ध कराया जाता है और इनकी ई0पी0एफ0/ई0एस0आई0 आदि वैधानिक कटौतियों का दायित्व उनका है ।

(4) अस्वीकारात्मक है । उपर्युक्त से वस्तुस्थिति स्पष्ट है ।

ट्रैफिक थाना बनाना

*711. श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी (क्षेत्र संख्या-200 बक्सर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बक्सर एक पौराणिक एवं धार्मिक नगरी है एवं गंगा तट पर अवस्थित है जहाँ गंगा स्नान के लिये काफी संख्या में श्रद्धालु बारहों मास आते रहते हैं, जिससे सड़क जाम की समस्या बनी रहती है, यदि हाँ, तो सरकार बक्सर में ट्रैफिक थाना कबतक बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

आरक्षण का लाभ देना

*712. श्री पवन कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-155 कहलगाँव)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार के 1500 जे0 पी0 सेनानियों को बिहार सरकार प्रतिमाह रुपया 15,000 पेंशन दे रही है ;

(2) क्या यह बात सही है कि स्वतंत्रता सेनानी के पौत्र/पौत्री एवं नाती/नतनी को सरकारी नौकरी में 2 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया जाता है ,

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार स्वतंत्रता सेनानी के तर्ज पर बिहार में जे0 पी0 सेनानियों के पौत्र/पौत्री एवं नाती/नतनी को भी आरक्षण का लाभ देने पर विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

घेराबंदी कराना

*713. श्री दिलीप राय (क्षेत्र संख्या-26 सुरसंड)--क्या मंत्री, मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत सुरसंड प्रखण्ड के ग्राम पंचायत राज कोरियाही के ग्राम बिन्धी का कब्रिस्तान, पुपरी प्रखण्ड के आवापुर दक्षिणी कब्रिस्तान तथा चोरौत प्रखण्ड के मूसिह्वा गांव में स्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त कब्रिस्तानों की घेराबंदी नहीं होने के कारण असमाजिक तत्वों का जमावड़ा बना रहता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त कब्रिस्तानों की घेराबंदी कबतक करवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

औचित्य बतलाना

*714. श्री अजीत शर्मा (क्षेत्र संख्या-156 भागलपुर)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार में अध्यक्ष सहित तीन सदस्यीय लोकायुक्त की स्थापना भ्रष्टाचार पर नियंत्रण हेतु की गई थी जबकि लोकायुक्त के दो पद छ: माह पहले रिक्त हो चुके हैं तथा अध्यक्ष लोकायुक्त भी 13 फरवरी, 2022 को सेवानिवृत्त हो गए हैं, यदि हाँ तो लोकायुक्त अधिनियम के अनुरूप लोकायुक्त के सदस्यों एवं अध्यक्ष का चयन ससमय नहीं किये जाने का क्या औचित्य है ?

प्रभारी मंत्री--आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि बिहार लोकायुक्त अधिनियम की धारा-4 के अनुसार लोकायुक्त के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा, निम्नलिखित को मिलाकर बनी एक ''चयन समिति'' के अनुशंसा प्राप्त करने क पश्चात् की जायेगी :--

(क) सभापति, बिहार विधान परिषद्	-	संयोजक
(ख) अध्यक्ष, बिहार विधान सभा	-	सदस्य
(ग) पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामनिर्दिष्ट पटना उच्च न्यायालय के वरिष्ठ पदासीन दो न्यायाधीश	-	सदस्य
(घ) आसन्न उत्तरजीवी बहिर्गामी लोकायुक्त	-	सदस्य

इसके अतिरिक्त लोकायुक्त के चयन पर विचार करते समय, विद्यमान अध्यक्ष भी चयन समिति के सदस्य होंगे ।

बिहार लोकायुक्त अधिनियम की धारा-4(3) के अनुसार लोकायुक्त के अध्यक्ष एवं सदस्यों का चयन करने के प्रयोजनार्थ, ''चयन समिति'' विचार किये जाने वाले व्यक्तियों का एक पैनल तैयार किये जाने हेतु एक ''खोजबीन समिति'' का गठन करेगी । ''खोजबीन समिति'' निर्विवाद सत्य निष्ठा एवं सार्वजनिक जीवन में प्रसिद्धि वाले पाँच व्यक्तियों को मिलाकर होगी तथा उनका चयन ऐसे व्यक्तियों में से होगा, जिन्होंने सेवानिवृत्ति के पश्चात् राजनीतिक दल की सदस्यता नहीं ली है एवं किसी सरकार के अन्तर्गत लाभकारी पद पर कार्यरत नहीं है। परन्तु ''खोजबीन समिति'' के कम-से-कम दो सदस्य सर्वोच्च न्यायायल अथवा किसी उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश अथवा न्यायाधीश होने चाहिए ।

लोकायुक्त अधिनियम के उक्त प्रावधानों के आलोक में नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

कब्रिस्तान की घेराबंदी कराना

*715. श्री ऋषि कुमार (क्षेत्र संख्या-220 ओबरा)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत दाउदनगर प्रखण्ड के ग्राम शमशेर नगर में स्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं होने के कारण कब्रिस्तान की जमीन का अतिक्रमण हो रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

घेराबन्दी कराना

*716. श्री मुकेश कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-27 बाजपट्टी)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला अन्तर्गत प्रखंड बाजपट्टी में बेला कब्रिस्तान एवं नरहरपुर कब्रिस्तान की घेराबंदी अभीतक नहीं हुयी है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तानों की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

उद्योग लगाना

*717. श्री प्रणव कुमार (क्षेत्र संख्या-165 बाजपट्टी)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार में मक्का का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है, किन्तु राज्य में कोई उद्योग नहीं होने के कारण यहां के मक्का को दूसरे राज्यों में भेज दिया जाता है तथा किसानों को उचित दाम भी नहीं मिलता है, यदि हाँ, तो सरकार अपने राज्य में कबतक उद्योग लगाकर यहां के किसानों का मक्का खरीद कर उचित दाम दिलाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

ओ0 पी0 बनाना

*718. श्री कृष्णनंदन पासवान (क्षेत्र संख्या-13 हरसिद्धि (अ0 जा0))--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत तुरकौलिया प्रखंड के शंकर सरैया बाजार में पुलिस ओ0 पी0 नहीं रहने से इसके आस-पास के पंचायतों में साथ ही उक्त स्थान पर आपराधिक घटनाएं अधिकतर घटती रहती हैं, जिससे यहाँ की जनता असुरक्षित महसूस करती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त स्थान से मोतिहारी थना, पीपरा कोठी थाना, तुरकौलिया थाना की दूरी लगभग 9-10 किलोमीटर के बीच है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर ओ0 पी0 बनाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*719. श्रीमती शालिनी मिश्रा (क्षेत्र संख्या-15 केसरिया)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है पूर्वी चंपारण जिलान्तर्गत केसरिया विधान सभा क्षेत्र के राजपुर पंचायत में अवस्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं होने के कारण जमीन का अतिक्रमण हो रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

ओ0 पी0 स्थापित कराना

*720. श्रीमती मीना कुमारी (क्षेत्र संख्या-34 बबुबरही)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है मधुबनी जिला के बाबूबरही अंतर्गत भटचैडा पंचायत के भटचैडा में पुलिस ओ0 पी0 स्थापित नहीं है जिससे अकसर चोरी, डकैती एवं हत्या की वारदात जैसी घटनाएं घटित होती रहती है तथा किसी प्रकार की वारदात एवं कांड के संदर्भ में 12 किमी दूर बाबूबरही थाना जाना पड़ता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त बाबूबरही थाना से 12 कि0 मी0 दूरी होने के कारण थाना प्रशासन को उक्त पंचायत में पहुँचने में विलंब हो जाता है तथा रात्रि गस्ती भी संभव नहीं हो पाता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार भटचैडा में पुलिस ओ0 पी0 कबतक स्थापित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रोन्नति देना

*721. श्री अजीत कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-201 डुमरॉंव)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य स्तर पर पुलिस मुख्यालय के आदेश संख्या 5608/पी0-1 दिनांक 15 मई, 2017-सह-बिहार राज्य के सभी जिलों में पदस्थापित पुलिस निरीक्षकों के वरीयता सूची की मांग गयी है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त आदेश के आलोक में लम्बी अवधि बीत जाने के बाद आयुधिक निरीक्षकों का नाम अबतक राज्य वरीयता सूची में नहीं आने के कारण प्रोन्नति नहीं हो रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त आदेश के आलोक में आयुधिक निरीक्षकों की वरीयता सूची बनाने एवं प्रोन्नति देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

अतिथि गृह/गेस्ट हाउस बनाना

*722. श्रीमती भागीरथी देवी (क्षेत्र संख्या-2 रामनगर (अ0 जा0))--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेतिया जिला अन्तर्गत प्रखंड-रामनगर के दोन क्षेत्र की मुख्यालय से दूरी 80 कि0 मी0 है तथा उक्त क्षेत्र संवेदनशील है एवं उक्त प्रखंड के जनप्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों के ठहरने की व्यवस्था वहां नहीं है, यदि हाँ, तो क्या सरकार रामनगर प्रखंड के दोन क्षेत्र में जनप्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों के ठहरने हेतु अतिथि गृह/गेस्ट हाउस बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

ओ0 पी0 खोलना

*723. श्रीमती गायत्री देवी (क्षेत्र संख्या-25 परिहार)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के सोनवरसा थाना अंतर्गत इन्दरवा एवं पीपरा परसाईन पंचायत नेपाल बॉर्डर से सटे हुए है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त दोनों पंचायत में हमेशा आपराधिक घटना एवं डकैतियाँ होती रहती है जिसके कारण लोग भयभीत रहते हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त पंचायतों के बीच ओ0 पी0 खोलने का विचार रखती है, हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

नियुक्ति करना

*724. श्री संदीप सौरभ (क्षेत्र संख्या-190 पालीगंज)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग, 2014 की प्रथम इंटरस्तरीय बहाली को काउंसलिंग तक आते-आते 8 वर्ष हो गए और अब आयोग द्वारा पिछड़ा/अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों से 2014 से पूर्व का नॉन-क्रिमिलेयर सर्टिफिकेट की माँग की जा रही है, जबकि विज्ञापन में इसकी अनिवार्यता नहीं थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त आयोग ने उसी वर्ष में CGL-2 की भर्ती का विज्ञापन निकाला जिसकी काउँसिलिंग में 2014 से पूर्व के NCL की अनिवार्यता नहीं रखी गयी और अद्यतन NCL को स्वीकार करते हुये यह नियुक्ति पूरी हो चुकी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त बहाली में अद्यतन NCL को स्वीकार कर फाइनल रिजल्ट जारी कर कबतक नियुक्ति करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

घेराबंदी बनाना

*725. श्री विनय बिहारी (क्षेत्र संख्या-5 लौरिया)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत लौरिया अंचल स्थित पंचायत राज सिसवनिया के ग्राम-विशुनपुरवा में लगभग डेढ़ बीघा जमीन वाला एक कब्रिस्तान है, जिसके एक तिहाई भूमि का अतिक्रमण हो गया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

न्याय दिलाना

*726. श्री अरूण शंकर प्रसाद (क्षेत्र संख्या-33 खजौली)--स्थानीय दैनिक हिन्दी समाचार-पत्र में दिनांक 3 जनवरी, 2022 को प्रकाशित शीर्षक ''लंबित कार्यों के निष्पादन में कई जिलों की पुलिस सुस्त'' को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जनवरी से अक्टूबर, 2021 के बीच गया में जहाँ हत्या के 324 लंबित कांडों की तुलना में 148, मुजफ्फरपुर में 624 में से 139 एवं पटना में 697 की तुलना में 250 का ही निष्पादन किया गया है, जबकि जनवरी, से अक्टूबर, 2021 के बीच मुजफ्फरपुर में बलात्कार के 135 लंबित कांडों में से मात्र 39, तथा पटना में 102 में 52 को ही निष्पादित किया गया है जिससे पीड़ितों को समय से न्याय नहीं मिल रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार हत्या एवं बलात्कार के मामले का निष्पादन कराकर पीड़ितों को समय से न्याय दिलाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अतिथि गृह का निर्माण

*727. श्रीमती रश्मि वर्मा (क्षेत्र संख्या-3 नरकटियागंज)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पश्चिमी चम्पारण जिला के नरकटियागंज अनुमंडल में एक भी अतिथि गृह नहीं होने से वहाँ विशिष्ट अतिथियों को ठहरने में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त अनुमंडल में अतिथि गृह का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अभ्यर्थियों का नियोजन कराना

*728. श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन (क्षेत्र संख्या-133 समस्तीपुर)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी (सामान्य प्रशासन विभाग) ने विभागीय पत्रांक 910, दिनांक 2 जुलाई, 2018 के माध्यम से कार्यापालक सहायक की बहाली हेतु विज्ञापन निकाला था ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त विज्ञापन के आलोक में दिनांक 16 जनवरी, 2019 से 22 जनवरी, 2019 तक परीक्षा का आयोजन हुआ और दिनांक 18 फरवरी, 2019 को परिणाम के आधार पर सफल अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया गया ;

(3) क्या यह बात सही है कि उक्त पैनल में से आधे से अधिक अभ्यर्थियों का नियोजन कर लिया गया और शेष अभ्यर्थियों को विभागीय पत्रांक 79, दिनांक 18 जनवरी, 2021 द्वारा रोक लगा दी गयी है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त पैनल के शेष अभ्यर्थियों का नियोजन कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तानों की घेराबंदी

*729. श्री मनोज कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-16 कल्याणपुर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि विधान सभा क्षेत्र कल्याणपुर अन्तर्गत प्रखण्ड कल्याणपुर में 1. सिसवा सोब पंचायत के सिसवा सोब कब्रिस्तान, खाता नं० 75, खेसरा-338 एवं 2. सिसवा सोब पंचायत के बहलोलपुर सर्की कब्रिस्तान खाता नं० 122, खेसरा नं० 633 कब्रिस्तानों की घेराबन्दी का निर्माण स्थल का सीमांकन कर नजरी नक्शा एवं प्रतिवेदन कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्य प्रमंडल 01 मोतिहारी को जनवरी, 2022 में अंचलाधिकारी, कल्याणपुर द्वारा भेजा जा चुका है किन्तु अभीतक घेराबंदी नहीं हुयी है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त वर्णित कब्रिस्तानों की घेराबंदी कबतक कराने की विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रसंस्करण केन्द्र स्थापित करना

*730. श्री राज कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-144 मटिहानी)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिला के मटिहानी विधान सभा क्षेत्र में उन्नत किस्म की लीची का उत्पादन व्यापक रूप से किया जाता है, यदि हाँ, तो सरकार लीची से संबंधित उत्पादन एवं विपणन की बेहतर संभावना को देखते हुये यहाँ कबतक एक लीची प्रसंस्करण केन्द्र स्थापित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*731. श्री कुंदन कुमार (क्षेत्र संख्या-146 बेगूसराय)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिला के बेगूसराय में पुलिस अधीक्षक कार्यालय संचालित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्ष 1972 से ही एस्बेस्टस के भवन में संचालित कार्यालय अब काफी जर्जर अवस्था में है तथा बरसात के दिनों में पानी का जल-जमाव होने से प्रशासन को प्रशासनिक कार्यों में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, साथ ही जर्जर भवन के कारण हमेशा दुर्घटना की आशंका बनी रहती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त कार्यालय का नये सिरे से भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

मुआवजा दिलाना

*732. श्री विनय बिहारी (क्षेत्र संख्या-5 लौरिया)--क्या मंत्री, गन्ना विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पश्चिम चम्पारण जिला में गन्ना किसानों का गन्ना फसल जुलाई, 2021 के बाढ़ के पानी व फसली बीमारी की वजह से खेतों में ही सूख गया ;

(2) क्या यह बात सही है कि गन्ना किसानों के सूखे गन्ना का मुआवजा राशि देने का घोषणा सरकार द्वारा सितम्बर, 2021 में भी किया गया था, परन्तु मुआवजा की राशि अबतक किसानों को नहीं मिली है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार किसानों को बाढ़ एवं बीमारी से हुयी गन्ना की फसल क्षति का मुआवजा कबतक देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

घेराबंदी कराना

*733. श्री रणविजय साहू (क्षेत्र संख्या-135 मोरवा)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के ताजपुर प्रखंड के रजवा पंचायत के वार्ड नं० 5 में कब्रिस्तान अवस्थित है, जिसका खाता संख्या 291, खेसरा नं० 1331, खाता नया 875, खेसरा नया 2696 है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं की गयी है जिसके कारण आवारा पशुओं के साथ-साथ असामाजिक तत्वों का आना-जाना लगा रहता है, साथ ही कई बार दो समुदायों के बीच तनाव भी हुआ है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान को प्राथमिकता सूची में लेते हुये कबतक घेराबंदी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रशिक्षण केन्द्र खोलना

*734. श्रीमती नीतू कुमारी (क्षेत्र संख्या-236 हिसुआ)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नवादा जिला के हिसुआ विधान सभा क्षेत्र स्थित हिसुआ में लघु एवं कुटीर उद्योग का प्रशिक्षण केन्द्र नहीं है, जिसके कारण वहां के कामगारों एवं महिलाओं को आजीविका चलाने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, तो सरकार हिसुआ में अगरबत्ती बनाने या सिलाई प्रशिक्षण केन्द्र कबतक खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जाँच कराना

*735. श्री संजय सरावगी (क्षेत्र संख्या-83 दरभंगा)--स्थानीय हिन्दी दैनिक दिनांक 11 फरवरी, 2022 के अंक में प्रकाशित शीर्षक ''जीएम रोड में भूमि विवाद में बवाल घर पर चलाया बुलडोजर'' के आलोक में क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि दरभंगा नगर निगम के जीएम रोड स्थित एक आवास और आवासीय भूखंड के लिये चल रहे विवाद को लेकर दिनांक 9 फरवरी, 2022 को एक पक्ष ने घर में पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी और घर को बुलडोजर से तोड़ दिया जिसमें घायल गर्भवती रीता झा और निक्की झा को डी0एम0सी0एच0 में इलाज के लिये स्थानीय लोगों द्वारा भर्ती किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि इस हमला से जुड़ी सारी घटना सीसीटीवी में कैद हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इस घटना की जाँच कराकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

स्थापना करना

*736. श्री ऋषि कुमार (क्षेत्र संख्या-220 ओबरा)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला के अन्तर्गत प्रखण्ड ओबरा, दाउदनगर के प्रमुख फसल धान, गेहूं, दलहन, सब्जी इत्यादि है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त उत्पादों से संबंधित खाद्य प्रसंस्करण की औद्योगिक इकाई नहीं रहने से फसलों का उचित प्रबंधन नहीं हो पा रहा है और किसानों को अपनी फसलों का उचित मूल्य प्राप्त नहीं हो रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार दाउदनगर में किसान हित में सब्जी एवं अनाज खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

ओ०पी० थाना की स्थापना कराना

*737. श्री अजय कुमार (क्षेत्र संख्या-138 विभूतिपुर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के विभूतिपुर प्रखण्ड अन्तर्गत विभूतिपुर थाना से पंचायत टभका स्थित पोलिटेक्निक कॉलेज की दूरी 10 कि०मी० है, जहां आये दिन आपराधिक घटनाएं होती रहती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त स्थान पर कबतक ओ०पी० थाना की स्थापना कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

घेराबंदी कराना

*738. श्री विजय कुमार मण्डल (क्षेत्र संख्या-210 दिनारा)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला के दावत प्रखण्ड में स्थित सहिनाव एवं बभनवल कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं की गयी है, जिससे बाहरी लोगों द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तानों की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मंदिर का जीर्णोद्धार

*739. श्री जनक सिंह (क्षेत्र संख्या-116 तरैया)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिला अन्तर्गत ईशुआपुर प्रखंड के ग्राम-नेपलिया में श्रीरामजानकी ठाकुरबाड़ी एवं पानापुर प्रखंड के ग्राम-सहबाजपुर में श्रीरामजानकी ठाकुरबाड़ी लगभग 100 वर्षों से अधिक पुराना होने के कारण उक्त मंदिर एवं चहारदीवारी जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त मंदिर का जीर्णोद्धार कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पटना :
दिनांक 7 मार्च, 2022 (ई0) ।

शैलेंद्र सिंह,
सचिव,
बिहार विधान सभा ।

बि0स0मु0, 88(एल0ए0), 2021-22-डी0टी0पी0-550